न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 250/2015

1. बीरबलराम
2. कृष्णलाल
3. सोहनलाल
4. रामलाल
5. राजुराम
6. माडुराम

पिसरान मंगलाराम जाति बावरी निवासीगण करड़वाली तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

7. तीजा पत्नी मंगलाराम जाति बावरी, निवासी करड़वाली तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

--अपीलांट्स

बनाम

1. सुन्दरराम पुत्र नानकराम जाति नायक निवासी करड़वाली तह. रायसिंहनगर (मृतक)।

1/1 सुरजाराम पुत्र सुन्दरराम जाति नायक निवासी करड़वाली

1//1 मांगीलाल
1/1/2 लीलु
1/1/3 ओमप्रकाश

पि. सुरजाराम जाति नायक नि. करड़वाली तह. रायसिंहनगर

1/1/4 कमला देवी पुत्री सुरजाराम पत्नी गंगाजल जाति नायक निवासी बाण्डा कॉलोनी तह. अनूपगढ़।

राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

1/2 श्योकरण पुत्र सुन्दरराम जाति नायक निवासी करड़वाली तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मृतक)।

1/2/1 कालुराम 1/2/2 बीरबल 1/2/3 लेखुराम	पि. श्योकरण जाति नायक निवासीगण 6 एमएसडी तह. रायसिंहनगर।

1/2/4 मनीराम पुत्र श्योकरण जाति नायक निवासी 6 एमएसडी तह. रायसिंहनगर (मृतक)।

1/2/4/1 मनोहरलाल पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी 6 एमएसडी तह. रायसिंहनगर।

1/2/4/2 भागवन्ती पुत्री मनीराम पत्नी रामचन्द्र जाति नायक निवासी भानीपुरा तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/2/4/3 शान्ती देवी पुत्री श्योकरण पत्नी शंकरलाल जाति नायक नि. भोपालपुरा तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/2/4/4 बीमला देवी पुत्री श्योकरण पत्नी मंगलाराम जाति नायक निवासी कालुवाला ढाबा के नजदीक ढाणी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

1/3 पतराम पुत्र सुन्दरराम जाति नायक निवासी करड़वाली (मृतक)।

1/3/1 कालुराम पुत्र पतराम जाति नायक निवासी करड़वाली तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

1/3/2 बिरमा देवी पत्नी बनवारी लाल पुत्री पतराम जाति नायक निवासी सतजन्डा तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

16/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

1/4 हंसराज | पि. सुन्दरराम जाति नायक निवासीगण करड़वाली
1/5 बुधराम | तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
1/6 चन्दु पुत्र सुन्दरराम जाति नायक निवासी करड़वाली मृतक
1/6/1 वेदप्रकाश | पुत्रगण चन्दुराम जाति नायक निवासीगण
1/6/2 राजु | करड़वाली तह. रायसिंहनगर।
1/6/3 गुडीदेवी पत्नी चन्दुराम जाति नायक निवासी करड़वाली तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
1/6/4 सन्तोदेवी पुत्री चन्दुराम पत्नी राजुराम जाति नायक निवासी 9 के एनडी तह. घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
1/6/5 इन्द्रादेवी पुत्री चन्दुराम पत्नी ओमप्रकाश जाति नायक निवासी बख्तावरपुरा तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–रा. अ 1956
विरूद्ध आदेश सहायक आयुक्त, उपनिवेशन एवं
सहायक कलक्टर सूरतगढ़ दिनांक 28.05.1984

उपस्थितिः–

श्री राजाराम पूनियां, अभिभाषक अपीलांट
श्री परविन्द्र बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पों.
श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :– 16.08.17

अपीलांट द्वारा यह आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन एवं सहायक कलक्टर रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 28.05.1984 के

16/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विरूद्ध प्रस्तुत की है । उक्त आदेश के द्वारा रा. का. अ. की धारा 15ककक (3)(3) के तहत सुन्दर राम को 49 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा अपीलमीमों अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड को अवलोकन करने से स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट हुई ।

अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.1984 के विरूद्ध दिनांक 01.12.15 को लगभग 31 वर्ष बाद पेश की। जो भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत पेश की है जबकि दिनांक 28.05.1984 का निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15ककक (3)(क) के अन्तर्गत किया गया था जिसके अपील के प्रावधान काश्तकारी अधिनियम में ही निहित है न कि भू–राजस्व अधिनियम में ।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा दो प्रार्थना पत्र एक अन्तर्गत सीपीसी की धारा 96 व दूसरा मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत पेश किए । प्रथम प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि रेस्पों. ने अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया । अतः उसे सुना नहीं गया । अतः अपील पेश करने की स्वीकृत चाही । अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड के अवलोकन से यह जाहिन है कि रेस्पों. ने रकबाराज में खातेदारी का अनुतोष चाहा गया था जो अधीनस्थ न्यायालय ने दिया है । अतः प्रकरण राज्य सरकार व रेस्पों. के

16/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

मध्य का होने से अपीलांट की कोई Locus standai नहीं बनने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से अपील भी खारिज योग्य है।

द्वितीय प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 में delay condone का अनुतोष चाहा है जो विधि में प्रावधान की अपीलांट के पास निर्धारित समयावधि में पेश नहीं करने का "Sufficient cause "हो अपीलांट ने नहीं दर्शाया । मात्र यह लिख देने से कि निर्णय दिनांक 28.05.1984 का पता दिनांक 03.11.2015 को चला, कहां से चला, कैसे चला ? क्यों चला का कोई स्पष्टीकरण नही है । अतः यह प्रार्थना पत्र भी अस्वीकार योग्य होकर अपील खारिज योग्य है । साथ ही मियाद अधिनियम की पार्ट–IV का अवलोकन भी Relevant है जिसके तहत भी अपीलांट को अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है । अतः उपरोक्त observation के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

16/8/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)